

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 234/2019

1. गुरजीतसिंह पुत्र सुखमन्द्रसिंह } जाति जटसिख निवासी 14 एसएल डबल्यू तहसील
2. गुरबचनसिंह पुत्र नक्षत्र सिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. नवदीपसिंह पुत्र मलकीतसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता बलजिन्द्र कौर पत्नी मलकीतसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एसएल डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण


बनाम्

1. नक्षत्रसिंह } पि0 बख्तावरसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एसएल डबल्यू तहसील
2. मलकीतसिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सुखमन्द्रसिंह }
4. हरप्रीतकौर पत्नी किरणदीप सिंह पुत्री सुखमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 19 चक जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. गुरप्रीत कौर पत्नी अमनदीप सिंह पुत्री सुखमन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. वीरपाल कौर पत्नी मनप्रीत सिंह पुत्री नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं0 1 ता 3 के नाम से चकनं0 14 एसएल डबल्यू के खाता सं0 93/94 में कुल 6.325 है0 व प्रतिवादीसं0 3 के नाम से इसी चक के खाता सं0 95/92 में कुल .253 है0 आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 14 एसएल डबल्यू के खाता सं0 93/94 में नक्षत्रसिंह, मलकीयतसिंह, सुखमेन्द्रसिंह का व इसी चक के खाता सं0 95/92 में से सुखमन्द्रसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4-9-19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी